

Registration no: (23014032023220174426) Date: (12-06-2023) Valid till: (12-6-2026)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
EAST & WEST HIGH SCHOOL, BELA, PATNA
BELA, KHAGAUL - BIHTA ROAD PATNA

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 20-02-2023 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 12-06-2023 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय EAST & WEST HIGH SCHOOL, BELA, PATNA, BELA, KHAGAUL - BIHTA ROAD PATNA, BELA, 801113 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 12-06-2023 से 12-6-2026 अवधि के लिए औपबंधिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, धरन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. केंद्रिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सॉसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कसित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर विन्सी भी प्रकार की शिक्षण रतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय बैंक सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

20. विद्यालय अधिनियम को धारा 15 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को परकसर रखेगा। विद्यालय के अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित

- (i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 10187 4 डिसेमित
- (ii) कुल भित्ति क्षेत्र - 10187 4 डिसेमित
- (iii) खेल के मैदान का क्षेत्र - COMPUTER LAB, SMART CLASS, LIBRARY, BIG SPORTS GROUND, SPORTS EQUIPMENTS, CCTV CAMERAS, WIFI CAMPUS, INTER COM, GENERATOR, INVERTOR, PURE DRINKING WATER.
- (iv) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या - 27
- (v) प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह अड्डर कक्षा - 8
- (vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय - Both Indian and Western , Boys - 7 , Girls 5.
- (vii) ऐयजल की सुविधा - 10
- (viii) पश्याह भोजन के लिये रसोई घर - 1
- (ix) वायुसंशुद्धि यंत्र - 1
- (x) शिक्षण अधिनियम समर्थी खेल कूद उपकरण पुस्तकालय - WHITE BOARD DUSTER, BLACK BOARD DUSTER WHITE BOARD MARKER, CHALK, REFERENCE BOOKS, SMART BOARD PROJECTOR, CHART PAPER, FOOTBALL-2, VOLLEYBALL-1, CRICKET KIT-2 SET, BADMINTON 5 SET, CARROM BOARD-5, CHESS BOARD- 1, JAVELIN - 6, SHOT PUT - 2, YOGA MAT - 2 , (Y , 356 , NewsPaper Magazine - 8)

- 11. कोई भी अप्रत्याशित कारण विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संवाचित नहीं होगा ।
- 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
- 13. विद्यालय सोसाइटी संविदेशन अधिनियम, 1980 (1980 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी संश्लेषण दल के प्रावधान से संवाचित होगा ।
- 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के साथ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संवाचित नहीं होगा ।
- 15. सेवा का अकेक्षण एवं उचित प्रशासकीयकरण धार्डेंट एकाउन्टेड के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त सेवा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरणी को एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
- 16. आपके विद्यालय को आगठित प्ररवीकृति कोड संख्या [23014032023220174426, 2023] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए ।
- 17. निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा प्ररधिकारी के द्वारा समय-समय "गॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाईगी और राज्य सरकार के स्तर से प्ररवीकृति की शर्तों के समतार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संवालय से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर विगत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
- 18. यदि सोसाइटी के विघटन के प्ररवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
- 19. अनुपालन या के रूप में सतत अन्य शर्तें

[Handwritten Signature]
24/6/2023



[Handwritten Signature]
24/6/23

विश्वासभाजन
801-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, PATNA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

[Handwritten Signature]
24/6/23
Manager
East & West High School
Patna

Attested
[Handwritten Signature]
24/06/2023
Principal
EAST & WEST HIGH SCHOOL
BELA, PATNA 22